F.No. 1-167/2021/H&E/Vol-VI/

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

Andaman and Nicobar Administration

सचिवालय /Secretariat

****

Sri Vijaya Puram, dated the 15th May, 2025.

CIRCULAR

Sub:- Invites Online Applications for Allotment of Government Accommodation under General Pool for the Session 2025-2026 - regarding

The Housing & Estate Department, Andaman and Nicobar Administration had developed Automated Allotment of Government Accommodation Application (AAGA Portal) through IT Department i.e, SOVTECH and the same has been launched on 25/03/2021. It provides end to end solution with no manual intervention for allotment and an attempt has been made to make a paperless solution. It had built in feature of online verification by DDOs, Medical Department (for medical cases) and H&E Department for further verification.

The Government Servants whose name enlisted in the existing seniority list under General category and 'Out of Turn' on Medical ground for the Session 2024-2025 and not allotted Government Accommodation till date are requested to apply afresh for the Session 2025-2026.

As per Rule-5 of Allotment of Accommodation of Andaman and Nicobar Administrative Residences (General Pool) Rules, 1991, allotment to such regular Government servants of the Administration will be made on the basis of seniority as determined from the date of their entry into Government service under the A & N Administration. The seniority list so finalized shall be valid for a period up to **31st May, 2026. Ad-hoc/Contract employees** are not eligible for allotment of Government Residential Accommodation under General Pool and as such their applications will not be entertained.

As per 7th CPC, the eligibility of Govt. Servants for allotment of Government Residences are as under :-

Type of Residence	Pre-revised Emoluments	Existing Emoluments as per 7th CPC
Type - 1 Quarter	Grade pay 1300/- to 1800/-	Pay Level - 1
Type - II Quarter	Grade pay Rs. 1900/- to 2800/-	Pay Level – 2 to 5
Type - III Quarter	Grade pay Rs.4200/- to 4800/-	Pay Level – 6 to 8
Type - IV Quarter	Grade pay Rs. 5400/- to 6600/-	Pay Level – 9 to 11
Type - V Quarter	Grade pay Rs.7600/- to 8900/-	Pay Level – 12 to 13 A
	Grade pay Rs.10000 and above	Pay Level – 14 to 17

As per the Administration's Circular dated 05/07/2019, all the remaining Type-IV & Type-V quarters available within the Municipal area (other than earmarked quarters) should be allotted by the Housing & Estate Department only irrespective of concerned Department.

Applications from the Government servants who are on fresh appointment/ on transfer from out station/ on deputation (**after last date of receipt of online application i.e., 18/06/2025**) and 'Out of Turn' allotment on medical ground shall be received throughout the year through online and their placement in the seniority list shall be made accordingly.

The Administration had taken the following decision for change of Same Type of Govt. Accommodation on medical ground in a transparent manner as under:-

1. **The Recommendation of Medical Officer of the Govt. Hospital is required for this purpose.**

Contd...2/-

2. Medical Certificate of Private Practitioners/ Doctors must be verified by the Medical Superintendent of the GB Pant Hospital for genuineness of medical condition.

The allottee/ occupants who desire to apply for change of their present quarter to **Same Type** on repair/medical/mutual/transferal grounds etc. and **Higher Type** shall also register their applications on online portal only.

No hard copy of application is required to be submitted or forwarded to the Assistant Secretary (H&E), Secretariat and such applications will not be entertained.

Instructions for Applicants, DDOs/HOOs & Medical Board :-

i) The applicants, who intends to apply for allotment of Government Accommodation on seniority basis, should upload recent passport size photo, signature, copy of initial appointment order, pay slip, transfer order/deputation order (in case of transfer/ deputation from out station after the last date of receipt of online application) in the online portal for verification of concerned DDOs and Assistant Secretary (H&E). Photo & Signature should be in jpg./jpeg. format (size 20-50 kbs) and **documents should be uploaded in complete shape** & in jpg./jpeg./pdf. format (size 20-200 kbs) only.

ii) The applicants those desire to apply for change of quarter for Same Type should upload copy of quarter allotment order/ occupation report in the online portal along with the documents mentioned at Sl.No. (i). They should attend H&E Department for updating of their mobile number before registration in the online portal, if not registered earlier.

iii) The applicants those desires to apply for 'Out of Turn' allotment on medical ground should upload copies of latest medical certificates in the online portal for verification of Medical Board along with the documents mentioned at Sl.No. (i).

iv) Online registration of applications is available in the portal **https://aaga.andaman.gov.in from 19/05/2025 to 18/06/2025 (upto 05.00 PM)**.

v) The applicants should register online application form very carefully as no option for alternation/ modification in the submitted application is available in the portal. On rejection of application, the applicant should again submit fresh application in the online portal within the stipulated period.

vi) **The applicant should ensure that his/her application is got verified and accepted by his/her DDO/HOO within two days of its submission and within the stipulated period.** No request for acceptance of delayed applications shall be entertained.

vii) The applicant should provide/ fill all the mandatory details in the CAPITAL LETTERS in the online portal and upload documents in complete shape, failing which the application will not be accepted by the concerned DDOs and Assistant Secretary (H&E) or summarily rejected.

viii) Before registering online application, the applicants should watch the videos provided in the homepage of portal.

ix) The portal will also allow the applicant to take printout of the submitted application for record purpose only.

x) The concerned DDOs/HOOs should verify all the mandatory details provided by the applicants as per their service records by signing in the portal using 'User Name & Password' provided by H&E Department and accept the application, if the details provided by the applicant are found correct. If the details provided by the applicants are found to be false, then their applications should be rejected by DDOs/HOOs with recording valid reasons in the appropriate column provided in the portal **within 02 days**

Contd...3/-

of submission of application so that the applicant can submit fresh application within the stipulated period. **The date from which continuously employed in the service means the date of entry into the service/date of joining in the post on the initial appointment on regular basis.**

xi) In the cases of change of Same Type of quarter and 'Out of Turn' on medical grounds, the Medical Superintendent, G.B. Pant Hospital should record the findings of Medical Board in the order of their gravity & assessments in the column provided in the portal by signing in the portal using 'User Name & Password' provided by H&E Department The Medical Board should verify all the medical documents uploaded in the application by the applicants, which are forwarded by the DDOs/HOOs through online mode.

xii) No hard copy of allotment order will be issued to applicants as well as concerned DDOs/HOOs and Executive Engineers & Junior Engineers of APWD by the H&E Department, Secretariat. The applicants may download allotment orders from the portal through their Mobiles/PCs or CSCs. The DDOs/HOOs are also required to be download allotment orders from the portal by signing using 'User Name & Password' provided by H&E Department.

xiii) The DDOs/HOOs should verify all online applications submitted in the portal within 02 days of its submission and no application shall be entertained after the close of receipt of online applications i.e., **18/06/2025**. Hence, all DDOs/HOOs should **verify & accept the online applications latest by 05.00 PM on 18/06/2025 positively.**

xiv) For any query/clarifications, please contact the following persons over the Phone :
a) Assistant Secretary (H&E), Secretariat – Phone No.03192-230632.
b) SOVTECH, DBRAIT Campus – Phone No.03192-254200.

15/05/25 15/5/25 15/05/2025
Assistant Secretary (H&E)

To

1. All Head of Departments/Head of Offices (**except Police Department/ Defence/ Central Govt. Offices**) with the request to circulate amongst the employees and display on Notice Board in their respective offices for wide publicity (in bilingual).
2. General Secretary, All Service Associations, Sri Vijaya Puram for information.
3. All Sections in the Secretariat, A&N Administration, Sri Vijaya Puram.
4. The Executive Officer, SOVTECH, DBRAIT campus, Pahargaon with the request to upload the circular (in bilingual) in the homepage of the "AAGA" portal.
5. Assistant Manager (IT), EDP Cell, Secretariat for uploading the circular (in bilingual) in the website of A&N Administration http://andaman.gov.in and also sent through e-mails to all departments.

Copy to :-

1. Sr.PS to Secretary (H&E), A&N Administration, Secretariat for kind information of Secretary (H&E).

15/05/25 15/5/25 15/05/2025
Assistant Secretary (H&E)

फा.सं. 1-167/2021/आ.एवं सं./भाग-VI/
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
Andaman and Nicobar Administration
सचिवालय/ Secretariat
****

श्री विजयपुरम, दिनांक 15 मई, 2025

परिपत्र

विषयः- सत्र 2025-2026 के लिए सामान्य पूल के अंतर्गत सरकारी आवास के आबंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

आवास एवं सम्पदा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात SOVTECH के माध्यम से सरकारी आवास के आवेदन का स्वचालित आबंटन पोर्टल (AAGA Portal) विकसित कर 25/03/2021 से इसे आरम्भ किया गया है। इसके द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एंड-टू-एंड आबंटन का समाधान किया जा रहा है और कागज रहित समाधान करने का एक प्रयास किया गया है। इसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, चिकित्सा विभाग(चिकित्सा मामलों के लिए) तथा आवास एवं सम्पदा विभाग द्वारा ऑनलाइन सत्यापन करने के फीचर को शामिल किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों, जिनका नाम वर्ष 2024-2025 के सत्र (सेशन) के लिए सामान्य श्रेणी एवं चिकित्सीय आधार पर बिन-बारी-आबंटन हेतु विद्यमान वरिष्ठता सूची में सूचीबद्ध किया हुआ है और अब तक सरकारी आवास आबंटित नहीं हुआ है, से अनुरोध है कि वे 2025-2026 के सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन करें।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासनिक निवासीय (सामान्य पूल) आवास आबंटन नियमावली 1991 के नियम-5 के अनुसार प्रशासन के नियमित सरकारी कर्मचारियों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन सरकारी सेवा में उनके प्रवेश की तिथि के आधार पर निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार आवास का आबंटन किया जाएगा। इस प्रकार अंतिम रूप से तैयार की गई वरिष्ठता सूची **31 मई, 2026** तक की अवधि के लिए वैध होगी। **तदर्थ/संविदागत कर्मचारी** सामान्य पूल के अंतर्गत सरकारी निवासीय आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे और इसलिए उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार सरकारी आवास के आबंटन के लिए सरकारी कर्मचारियों की पात्रता निम्नलिखित अनुसार होगी :-

आवास के प्रकार	पूर्व-परिशोधित परिलब्धियाँ	7वें के.वे.आ. के अनुसार परिलब्धियाँ
टाईप- I क्वार्टर	ग्रेड वेतन 1300/- से 1800/-	वेतन स्तर- 1
टाईप- II क्वार्टर	ग्रेड वेतन 1900/- से 2800/-	वेतन स्तर- 2 से 5
टाईप- III क्वार्टर	ग्रेड वेतन 4200/- से 4800/-	वेतन स्तर- 6 से 8
टाईप- IV क्वार्टर	ग्रेड वेतन 5400/- से 6600/-	वेतन स्तर- 9 से 11
टाईप- V क्वार्टर	ग्रेड वेतन 7600/- से 8900/-	वेतन स्तर- 12 से 13 ए
	ग्रेड वेतन 10,000/- एवं उससे अधिक	वेतन स्तर- 14 से 17

प्रशासन के दिनांक 5/07/2019 के परिपत्र के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र (चिन्हित क्वाटरों को छोड़कर) के भीतर उपलब्ध शेष सभी टाईप- IV एवं टाईप- V क्वार्टर को आवास एवं सपदा विभाग द्वारा ही आबंटित किया जाएगा चाहे वह क्वार्टर संबंधित विभाग का ही क्यों न हो।

सरकारी कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है अथवा जो बाहरी स्टेशनों से स्थानातरण पर आए हैं अथवा प्रतिनियुक्ति पर हैं **(ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, अर्थात 18/06/2025 के बाद)** तथा जो चिकित्सीय आधार पर बिन-बारी-आबंटन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, से आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से पूरे वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाएंगे और वरिष्ठता सूची में उनका स्थान तदानुसार निर्धारित किया जाएगा।

प्रशासन ने पारदर्शी तरीके से चिकित्सा आधार पर सरकारी आवास को बदलने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए है : -

1. **इस प्रयोजन के लिए सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश अनिवार्य है।**
2. **निजी चिकित्सकों/डॉक्टरों के चिकित्सा प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता का सत्यापन जी.बी. पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जाना अनिवार्य है।**

आबंटिती/अधिभोगी, जो मरम्मत/चिकित्सा/परस्पर सहमति/स्थानांतरण आधार आदि कारणों से अपने मौजूदा आवास को **वैसे ही प्रकार** या **उससे बेहतर प्रकार** के आवास में बदलने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल में ही अपना आवेदन का पंजीकरण करवाना होगा।

सहायक सचिव (आ. एवं स) को **आवेदन की हार्ड प्रति** जमा अथवा अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

<u>आवेदकों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/ कार्यालयाध्यक्षों एवं चिकित्सा बोर्ड के लिए अनुदेश :-</u>

i) आवेदक, जो वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास का आबंटन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हे संबधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा सहायक सचिव (आ.एवं सं.) द्वारा सत्यापन हेतु ऑनलाइन पोर्टल में अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर, प्रारंभिक नियुक्ति आदेश, वेतन पर्ची, स्थानांतरण आदेश/प्रतिनियुक्ति आदेश (ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद यदि बाहरी स्टेशनों से स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति हुआ हो तो) अपलोड करना होगा। फोटो और हस्ताक्षर जे.पी.जी./जे.पी.ई.जी. फार्मेट (20 से 50 केबीएस आकार) में होने चाहिए और **दस्तावेज पूर्ण आकार में अपलोड किया जाना चाहिए** एवं जे.पी.जी./जे.पी.ई.जी./पी.डी.एफ. फार्मेट (20 से 200 केबीएस आकार) में ही होना चाहिए।

ii) आवेदक, जो समान श्रेणी के आवास में बदलाव के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें क्र.सं. (i) में उल्लिखित दस्तावेज के साथ आवास आबंटन आदेश/आधिपत्य रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करना होगा। यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो उन्हें ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकरण से पहले अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए आवास और संपदा विभाग से संपर्क करना चाहिए।

iii) आवेदक, जो चिकित्सा आधार पर बिन-बारी-आबंटन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए क्र.सं. (i) में उल्लिखित दस्तावेज के साथ अपना नवीनतम चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करना होगा।

iv) पोर्टल **https://aaga.andaman.gov.in** पर आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा **19/05/2025 से 18/06/2025 (अपराह्न 05.00 बजे)** तक उपलब्ध रहेगी।

v) आवेदकों को अपना ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का पंजीकरण बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि पोर्टल में बदलाव/सुधार करने का विकल्प नहीं है। आवेदन अस्वीकार हो जाने पर आवेदक द्वारा फिर से ऑनलाइन पोर्टल में निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन जमा करना होगा।

vi) **आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आवेदन उसके जमा करने के दो दिन के भीतर तथा निर्धारित अवधि के भीतर उसके संवितरण एवं आहरण अधिकारी/कार्यालयअध्यक्ष द्वारा सत्यापित तथा स्वीकृत कर लिया गया है।** विलंबित आवेदन की स्वीकृति के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

vii) आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल में सभी अनिवार्य विवरण CAPITAL LETTERS में उपलब्ध कराने/भरने होंगे और दस्तावेजों को पूर्ण रूप से अपलोड करना होगा, अन्यथा संबंधित संवितरण एवं आहरण अधिकारी और सहायक सचिव (आ. एवं सं.) द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे या सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

viii) ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने से पहले, आवेदकों को पोर्टल के होमपेज पर दिए गए वीडियो देखना चाहिए।

ix) आवेदक पोर्टल में जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआऊट केवल अभिलेख हेतु निकाल सकते हैं।

x) सबंधित आहरण एव संवितरण अधिकारी/कार्यालयाध्या को पोर्टल में साइनिंग इन करके आवास एवं संपदा विभाग द्वारा उपलबा कराए गए "यूसर नेम तथा पासवर्ड" का उपयोग करके आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी अनिवार्य विवरणों का सत्यापन उनकी सेवा अभिलेखी के आधार पर करना होगा और यदि सही पाया जाता है तो आवेदन को स्वीकार करना होगा। यदि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण गलत पाया जाता है तो उनके आवेदन को आवेदन जमा करने के **02 दिनों के भीतर** ही आहरण एवं सवितरण अधिकारी द्वारा पोर्टल में दिए गए समुचित कोलम में वैध कारणों को अभिलिखित करके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ताकि आवेदक निर्धारित अवधि के भीतर नया आवेदन प्रस्तुत कर सके। जिस तारीख से सेवा में लगातार कार्यरत हैं, अर्थात सेवा में प्रवेश की तिथि/नियमित आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति पर पद ग्रहण करने की तिथि।

xi) समान टाईप के क्वार्टर में बदलाव तथा चिकित्सा आधार पर बिन-बारी-आबंटन के मामलों में जी.बी. पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को पोर्टल में साईनिंग इन करके आवास एवं संपदा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 'यूसर नेम तथा पासवर्ड' का उपयोग कर पोर्टल में दिए गए समुचित कॉलम में चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष को उनके गंभीरता और मूल्याकन के अनुसार अभिलिखित किया जाना चाहिए। चिकित्सा बोर्ड आवेदक द्वारा आवेदन में अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों, जिसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से अग्रेषित किया गया है, को सत्यापित किया जाना चाहिए।

xii) सचिवालय के आवास एवं संपदा विभाग द्वारा आवेदकों के साथ-साथ संबंधित आहरण एवं सवितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों और अण्डमान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं तथा कनिष्ठ अभियंताओं को आबंटन आदेश की कोई हार्ड कॉपी जारी नहीं की जाएगी। आवेदक अपने मोबाइल/पी.सी. या सामान्य सेवा केन्द्रें के माध्यम से पोर्टल से आबंटन आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं। आहरण एवं सवितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को भी आवास एवं संपदा विभाग द्वारा प्रदान किए गए 'यूजर नेम और पासवर्ड' का उपयोग करके पोर्टल से आबंटन आदेश डाउनलोड करना होगा।

xiii) आहरण एवं सवितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को पोर्टल पर जमा किए गए सभी ऑनलाइन आवेदनों को उनके जमा होने के 02 दिनों के भीतर सत्यापित करना चाहिए और ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की समाप्ति तिथि अर्थात **18/06/2025** के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, सभी आहरण एवं सवितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा **<u>अनिवार्य रूप से 18/06/2025 को शाम 05.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदनों को सत्यापित और स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।</u>**

xiv) किसी भी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित व्यक्तियों से फोन पर संपर्क करें:
क) सहायक सचिव (आवास एवं सम्पदा), सचिवालय - फोन नं. 03192-230632.
ख) SOVTECH, DBRAIT कैम्पस-फोन नं.03192-254200.

15/05/25

सहायक सचिव (आ. एवं सं.)
15/5/25
15/05/2025